मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in, Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2020/6395

DATE : 25-01-2020

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

<u>संशोधित प्रेस विज्ञप्ति</u>

विषयः—हज—2020. हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा खादिमुल हुज्जाज आवेदन आमंत्रित करने हेतु जारी सकूर्लर में किये गये संशोधन अनुसार दिनांक 23—01—2020 से 22—02—2020 तक ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने बाबत्।

संदर्भः—इस हज कमेटी का पत्र क्रमांक MPSHC/37/2020/6392, दिनांक 23—01—2020.

प्रेस विज्ञप्ति

हज—2020 के लिए ख़ादिमुल हुज्जाज के चयन हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सकूर्लर में किये गये **संशोधन अनुसार इच्छुक खादिमुल हुज्जाज आवेदक दिनांक 23—01—2020 से 22—02—2020 तक** ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सकूर्लर के दिशा—निर्देशानुसार पुरूष आवेदकों के साथ—साथ महिला आवेदक भी खादिमुल हुज्जाज हेतु आवेदन कर सकती हैं। ख़ादिमुल हुज्जाज के आवेदन ऑनलाइन किये जाएंगे। हज कमेटी ऑफ इण्डिया के नियम एवं दिशा—निर्देशानुसार केवल वही पुरूष/महिला आवेदक आवेदन करें जो शासकीय शासन के उपक्रम एवं निकाय के नियमित कर्मचारी हों, हज अथवा उमरा अदा कर चुके हों एवं अरबी भाषा का ज्ञान रखते हों तथा उनकी आयु 25 वर्ष से कम न हो और दिनांक 31—05—2020 तक 58 वर्ष से अधिक न हो।

उल्लेखित है कि खादिमुल हुज्जाज के रूप में आवेदन करने हेतु आवश्यक है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य हज—2020 के लिए हज यात्रा के लिए नहीं जा रहा हो एवं सऊदी मौअल्लिम से भी उसकी कोई जान पहचान न हो। खादिमुल हुज्जाज के कार्य के लिए कार्य की अवधि संबंधित दी जाने वाली डयूटी पर कार्य माना जायेगा परन्तु इसके लिए कोई वेतन भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदक जो हज—2019 में हज संबंधी कार्य हेतु CGI, Jeddah के लिए प्रतिनियुक्त हुए हों एवं ऐसे आवेदक जो तीन या उससे अधिक बार हज कार्य हेतु CGI, Jeddah प्रतिनियुक्त हो चुके हैं के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आवेदनकर्ता को संबंधित विभाग अथवा नियोक्ता द्वारा जारी मूल अनुमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र), मूल शासकीय चिकित्सालय का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हज/उमरा करने से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज़ तथा पासपोर्ट जारी दिनांक 23—12—2019 एवं वैधता दिनांक 20—01—2021 से कम न हो की छायाप्रतियां अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे इच्छुक आवेदक खादिमुल हुज्जाज हज—2020 हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी समस्त आवश्यक दस्तावेज़ों सहित कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी, हज हाउस, ग्राम सिंगारचोली, गुलमोहर गार्डन के पीछे, एयरपोर्ट रोड, भोपाल—462036 में **दिनांक 25—02—2020** तक स्वयं या डाक द्वारा आवश्यक रूप से जमा करें। अपूर्ण एवं अपात्र आवेदन निरस्त होने की सूचना नहीं दी जावेगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की वेबसाइट www.mphajcommittee.com पर परिपत्र क्रमांक 8 (हज—2020) का अवलोकन एवं दूरभाष क्रमांक 0755—2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

(दाऊद अहमद खान)
सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी